

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं०-४९/२०१६

महमद आरीफ.....वादी
 बनाम
 बीबी ऐशा खातुन एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>DATE</u>	<u>ORDER</u>	<u>REMARKS</u>
19.12.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं०-०१ सह प्रतिदावाकर्ता की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक ०३.०८.२०२२ के आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी सं०-०१ सह प्रतिदावाकर्ता की ओर से दिनांक ०३.०८.२०२२ को आदेश ३९ नियम १ एवं २ तथा धारा १५१ व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। <u>आदेश (ORDER)</u> प्रतिवादी सं०-०१ सह प्रतिदावाकर्ता की ओर से दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक ०३.०८.२०२२ में कहा गया है कि वादी ने वादपत्र के मद सं०-०१ पर स्वत्व अधिकार की घोषणा के साथ फिदवी मुदालह सह प्रतिदावाकर्ता का दो किता निबंधित बयानामा दिनांक ११.०५.२०११ एवं १३.०५.२०११ को जाली फरेबी बेकार बेअसर बिना दाम का घोषित करने के साथ अन्य अनुतोष हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादी सं-०१ प्रतिवादी सं०-०४ के साथ उपस्थित होकर अपना बयाना तहरीरी दिनांक १५.११.२०१६ को दाखिल किया है। इसी बीच प्रतिवादी की खरीदगी भूमि के अंश से मुदई ने मुदालह सं०-०१ को नाजायज तरीके से दिनांक १९.१२.२०१८ को बेदखल कर नींव की खुदाई करने लगे तो मुदालह सं०-०१ ने प्रस्तुत वाद में अपना प्रतिदावा दाखिल किया। प्रतिवादी सं०-०१ सह प्रतिदावाकर्ता ने प्रतिदावा पत्र के मद सं०-क में अपनी खरीदगी भूमि का विवरण दिया है। जिसपर प्रतिवादी सं०-०१ का हकियत व दखल कब्जा कायम है तथा प्रतिदावा पत्र के मद सं०-ख में जो भूमि दर्शित है। उसमें वादी के द्वारा मुदालह सं०-०१ को नाजायज व गैर कानूनी तरीके से दिनांक १९.१२.२०१८ को मुकदमें के दौरान बेदखल कर निर्माण करने पर आमादा हो गये तब प्रतिवादी सं०-०१ के आवेदन पर अधिवक्ता आयुक्त बहाल हुये जिनका प्रतिवेदन अभिलेख पर है। वादग्रस्त भूमि इसराफील मियाँ प्रतिवादी सं०-०४ के हिस्से की जायदाद है यह तथ्य दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत है। इसराफील मियाँ प्रतिवादी सं०-०१ के पिता थे जो अपने जीवन यापन व दवा ईलाज कराने हेतु प्रतिवादी सं०-०१ पर निर्भर रहते थे तथा	

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं०-४९/२०१६

महमद आरीफ.....वादी
 बनाम
 बीबी ऐशा खातुन एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 19.12.2022	प्रतिवादी सं०-०१ से रुपये लेकर अपना ईलाज कराये। वादग्रस्त भूमि मद सं०-क प्रतिदावा पत्र प्रतिवादी सं०-०१ को निबंधित दस्तावेज बयनामा दिनांक ११.०५.२०११ तथा १३.०५.२०११ द्वारा बिक्री कर दखल कब्जा दे दिये। स्थानीय अंचल द्वारा प्रतिवादी सं०-०१ की दखल कब्जों का भौतिक सत्यापन कर जमाबंदी भी कायम कर दिया। वादी द्वारा जुबानी बक्खशीश तथा मुदालह चिट्ठा दिनांक १०.०४.२०११ बिल्कुल झूठ तथा बनावटी है। इसके आधार पर वादी को कोई हकियत व कब्जा नहीं हुआ बल्कि मुदालह को महिला समझकर संपति हड़पने के लिए जाली खेस्टा बनाये है। प्रतिवादी सं०-०१ सह प्रतिदावाकर्ता दाखिल बयान तहरीरी दिनांक १५.११.२०१६ तथा दाखिल प्रतिदावा दिनांक ०२.१२.२०१९ को भी इस आवेदन का अंश समझा जाये। प्रतिवादी सं०-०१ सह प्रतिदावाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा का तुला है। अगर वादी महमद आरीफ एवं अन्य मुदालह को प्रतिदावाकर्ता के दखल कब्जा में झंझट व मोजाहमत करने से मद सं०-क प्रतिदावा पत्र की भूमि तथा मद सं०-ख में वर्णित भूमि पर किसी तरह के निर्माण करने से वादी को नहीं रोका गया तो प्रतिदावाकर्ता को अपूर्ण क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिदावा के मद सं०-ख में दी गयी भूमि को छोड़कर मद सं०-क की भूमि पर प्रतिदावाकर्ता के दखल कब्जा में किसी तरह के झंझट तथा मद सं०-ख की भूमि पर किसी तरह के निर्माण करने से या किसी तरह के स्वरूप परिवर्तन करने से वाद के अंतिम निष्पादन तक रोक देने का आदेश देने की कृपा करें। दिनांक १४.१०.२०२२ को वादी की ओर से प्रतिवादी सं०-०१ सह प्रतिदावाकर्ता के निषेधाज्ञा आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें प्रतिवादी सं०-०१ सह प्रतिदावाकर्ता के आवेदन को विधि एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज करने योग्य बताया गया तथा वादी द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि पर वर्ष २०११ से वादी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा है। विवादित भूमि पर कभी भी प्रतिवादी सं०-०१ का तथाकथित बयनामा के आधार पर कभी वास्तविक या आन्वयिक दखल कब्जा नहीं रहा है। वादी द्वारा दाखिल वादपत्र को भी प्रत्युत्तर का अंश समझा जाय। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं०-०१ को कोई हकियत	
---	--	--

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं०-४९/२०१६

महमद आरीफ.....वादी
 बनाम
 बीबी ऐशा खातुन एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 19.12.2022	व दखल कब्जा प्राप्त नहीं है तथा प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादी सं०-०१ के पक्ष में नहीं है। अतः निषेधाज्ञा आवेदन खारिज होने योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादपत्र के मद सं०-०१ पर स्वत्व अधिकार की घोषणा के साथ फिदवी मुदालह सह प्रतिदावाकर्ता का दो किता निबंधित बयनामा दिनांक ११.०५.२०११ एवं १३.०५.२०११ को जाली फरेबी, बेकार, बेअसर, बिना दाम का घोषित करने के साथ अन्य अनुतोष हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादी सं०-०१ सह प्रतिदावाकर्ता के द्वारा प्रतिदावा पत्र के मद सं०-क की एराजी पर अपनी हकियत व दखल कब्जा घोषित करने के साथ साथ तथाकथित चिट्ठा बक्खशीशनामा दिनांक २७.०३.२०११ का फर्जी व शुन्य घोषित कराने तथा प्रतिदावा पत्र के मद सं०-ख में दी गयी जयदाद पर प्रतिवादी तृतीय पक्ष द्वारा किये गये निर्माण को नजायज गैर कानूनी तथा दखल कब्जा वापस कराने के लिए किया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्ण क्षति होगी अथवा नहीं तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है ? प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं०-०१ सह प्रतिदावाकर्ता को वादग्रस्त भूमि उनके पिता प्रतिवादी सं०-०४ इसराफील मियाँ के द्वारा निबंधित बयनामा दस्तावेज दिनांक ११.०५.२०११ तथा दिनांक १३.०५.२०११ के द्वारा प्राप्त होना दर्शाया गया है तथा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं०-०४ इसराफील मियाँ की भूमि है। यह उभय पक्षों द्वारा स्वीकृत तथ्य है। वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि जुबानी बक्खशीशनामा एवं दिनांक २७.०३.२०११ के चिट्ठा के आधार पर प्राप्त होना बताया है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि निबंधित विक्रय विलेख के प्रतिकूल जब तक साक्ष्य न आये तब तक निबंधित विक्रय विलेख के सत्य होने की उपधारणा की जाती है। अतः प्रथम दृष्टया वाद प्रतिवादी सं०-०१ सह	
-------------------------------------	--	--

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं०-४९/२०१६

महमद आरीफ.....वादी
बनाम
बीबी ऐशा खातुन एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 19.12.2022	प्रतिदावाकर्ता के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत होता है। उभय पक्षों द्वारा अपना अपना वादग्रस्त भूमि पर कब्जा बताया गया है। अतः वाद के इस स्तर पर किस पक्ष का कब्जा है। यह निश्चित करना संभव नहीं है। अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन में भी दर्शित किया गया है कि जाँच तिथि दिनांक ३०.१२.२०२१ के पूर्व का वादग्रस्त भूमि पर नवनिर्मित कार्य था तथा जो भूमि वर्षों से परती पड़ चुकी थी उसपर खर पतवार था परंतु मकान निर्माण का कोई सामग्री रखा हुआ नहीं पाया गया। अतः सुविधा की तुला किस पक्ष की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। वाद के इस स्तर पर यह निश्चित नहीं किया जा सकता है परंतु वादग्रस्त भूमि का प्रथम संरक्षक न्यायालय होता है। न्यायालय का परम कर्तव्य है कि वह वादग्रस्त भूमि का वाद लंबन के दौरान संरक्षण करें। अगर वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ किया जाता है तो इससे प्रस्तुत वाद के अंतिम निस्तारण में विलंब होगा एवं वादों की बहुलता बढ़ेगी। ऐसी दशा में वादग्रस्त भूमि को अंतिम निर्णय तक संरक्षण करना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी दशा में उभय पक्षों को प्रतिदावा पत्र के मद सं०-क की भूमि पर आगामी ०६ माह तक यथास्थिति (Status quo) बनाये रखने तथा मद सं०-ख की भूमि पर किसी तरह के निर्माण कार्य करने से आगामी ०६ माह तक अस्थायी रूप से रोका जाता है। प्रतिवादी सं०-०१ सह प्रतिदावाकर्ता के आवेदन दिनांक ०३.०८.२०२२ को निस्तारित किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नहीं करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन में न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक ०६.०२.२०२३ को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	
------------------------------	---	--